छत्तीसगढ़ शासन
वाणिज्य एवं उद्योग विभाग
मंत्रालय
महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, रायपुर

--00--

//अधिसूचना//

रायपुर दिनांक जुलाई, 2023

क्रमांक एफ 20-01/2019/11/(6) चूंकि, राज्य सरकार का यह समाधान हो गया है कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है,

अतएव राज्य शासन एतद् द्वारा इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 31.10.2019 द्वारा जारी **" औद्योगिक नीति 2019-24'** में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात :-

संशोधन

(1) उक्त अधिसूचना के परिशिष्ट-2 (उच्च प्राथमिकता उद्योगों की सूची) अनुक्रमांक 28 पर निम्नानुसार समावेश किया जाता है :-

अनुक्रमांक-28 – *"भारत सरकार द्वारा अनुमोदित नीति के अनुसार निष्प्रयोज्य वाहनों को स्क्रैप किये जाने से संबंधित उद्योग की स्थापना"*

(2) उक्त अधिसूचना के परिशिष्ट-6.5 **"स्टाम्प शुल्क से छूट"** के प्रथम पैरा को दिनांक 01 नवंबर, 2019 से प्रभावशील करते हुये निम्नानुसार संशोधित किया जाता है, अर्थात :-

*निवेशकों के वर्ग की दृष्टि से वर्गीकृत समस्त श्रेणियों के उद्यमियों द्वारा स्थापित पात्र सूक्ष्म, लघु, मध्यम, वृहद उद्योग तथा समस्त मेगा प्रोजेक्ट्स एवं अल्ट्रा मेगा प्रोजेक्ट्स की **"नवीन उद्योग स्थापना तथा विद्यमान उद्योगों के विस्तार/शवलीकरण"** को (कोर सेक्टर के उद्योग सहित परिशिष्ट - 5 अनुसार) स्टाम्प शुल्क से पूर्ण छूट निम्नांकित प्रकरणों में दी जायेगी :-*

(3) उक्त अधिसूचना के परिशिष्ट-6.5 **"स्टाम्प शुल्क से छूट"** की उपकंडिका-5.7 के पश्चात् नवीन उपकंडिका-5.8 का निम्नानुसार समावेश किया जाता है, अर्थात :-

5.8 "औद्योगिक नीति-2019-24 के परिशिष्ट 6.24 में वर्णित एमएसएमई सेवा श्रेणी उद्यम हेतु क्रय/पट्टे पर ली गई भूमि/भवन से संबंधित विलेखों पर।"

(4) उक्त अधिसूचना के परिशिष्ट-6.6 **"मंडी शुल्क से छूट"** के प्रथम पैरा को दिनांक 01 नवंबर, 2019 से प्रभावशील करते हुये निम्नानुसार संशोधित किया जाता है, अर्थात :-

राज्य में स्थापित होने वाले ''नवीन/विद्यमान उद्योगों के विस्तार/प्रतिस्थापन /शवलीकरण'' अंतर्गत सूक्ष्म, लघु, मध्यम एवं वृहद श्रेणी के कृषि एवं खाद्य उत्पादों के प्रसंस्करण उद्योगों को राज्य की मंडियों/सीधे उत्पादनकर्ता कृषक/ इकाई/राज्य के बाहर से कच्चामाल क्रय करने पर मंडी शुल्क से छूट प्रमाण पत्र जारी होने के दिनांक से 5 वर्ष तक के लिये कृषि उत्पादों (परिशिष्ट-4 में वर्णित अपात्र उद्योगों को छोड़कर) पर लगने वाले मंडी शुल्क से पूर्ण छूट, अधिकतम राशि ₹ 2.00 करोड़ प्रतिवर्ष की सीमा तक प्रदान की जायेगी, साथ ही छूट की कुल अधिकतम सीमा इकाई द्वारा किये गये स्थायी पूंजी निवेश के 75% से अधिक नहीं होगी।

(5) उक्त अधिसूचना के परिशिष्ट-6.22 की उपकंडिका-6.22.5 ''**मंडी शुल्क से छूट**'' प्रदान करने हेतु अंकित प्रावधान को दिनांक 01 नवंबर, 2019 से प्रभावशील करते हुये निम्नानुसार संशोधित किया जाता है, अर्थात :-

राज्य में स्थापित होने वाले ''नवीन/विद्यमान उद्योगों के विस्तार/प्रतिस्थापन /शवलीकरण'' अंतर्गत सूक्ष्म, लघु, मध्यम एवं वृहद श्रेणी के कृषि एवं खाद्य उत्पादों के प्रसंस्करण उद्योगों को राज्य की मंडियों/सीधे उत्पादनकर्ता कृषक/ इकाई/राज्य के बाहर से कच्चामाल क्रय करने पर मंडी शुल्क से छूट प्रमाण पत्र जारी होने के दिनांक से 7 वर्ष तक के लिये कृषि उत्पादों (परिशिष्ट-4 में वर्णित अपात्र उद्योगों को छोड़कर) पर लगने वाले मंडी शुल्क से पूर्ण छूट, अधिकतम राशि ₹ 3.00 करोड़ प्रतिवर्ष की सीमा तक प्रदान की जायेगी, साथ ही छूट की कुल अधिकतम सीमा इकाई द्वारा किये गये स्थायी पूंजी निवेश के 100 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी।

(6) औद्योगिक नीति 2019-24 के परिशिष्ट-6.26 ''छत्तीसगढ़ राज्य बंद एवं बीमार उद्योगो हेतु विशेष प्रोत्साहन नीति 2019'' के अंतर्गत जारी अधिसूचना क्रमांक एफ 20-103/2015/11-6, दिनांक 01.03.2023 की कंडिका क्रमांक-5 की उपकंडिका-5.1 ''बीमार उद्योग'' के आशय को निम्नानुसार संशोधित किया जाता है, अर्थात :-

5.1 बीमार उद्योग *- से आशय होगा :-*

(1) कोई सूक्ष्म, लघु उद्योग इकाई (एमएसएमई अधिनियम 2006 यथा संशोधित-2020 के अनुसार) ''बीमार'' तभी समझी जावेगी यदि इकाई के अंकेक्षित लेखों के आधार पर :

इकाई का सबसे अधिक ऋण वाला उधारी लेखा 01 वर्ष से अधिक की अवधि के लिए एन.पी.ए. (Non Performing Asset) बना रहे।

अथवा

इकाई के नेटवर्थ में कमी हुई हो, जो गत लेखा वर्ष में संचित नगद हानि के कारण नेटवर्थ के 25 प्रतिशत की सीमा तक हो।

(2) सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों से भिन्न प्रकरणों में एक बीमार उद्योग वह कहलायेगा जिसका ऋण खाता 6 माह या उससे अधिक अवधि हेतु NPA (Non

Performance asset) हो गया हो या उद्योग में लगातार हानि (संचित हानि) होने के कारण उद्योग के नेटवर्थ में गत वर्ष के अंकेक्षित लेखों के आधार पर 25 प्रतिशत की कमी आ गई हो।

(7) औद्योगिक नीति 2019-24 के परिशिष्ट-6.26 ''छत्तीसगढ़ राज्य बंद एवं बीमार उद्योगो हेतु विशेष प्रोत्साहन नीति 2019'' के अंतर्गत जारी अधिसूचना क्रमांक एफ 20-103/2015/11-6, दिनांक 01.03.2023 के कंडिका क्रमांक-5 की उपकंडिका-5.2 ''बंद उद्योग'' के आशय की उपकंडिका-5.2.2 को निम्नानुसार संशोधित किया जाता है, अर्थात :-

5.2.2 - इकाई विगत न्यूनतम लगातार 12 माह से बंद रही हो। बंद होने के कारण विद्युत विच्छेदन हुआ हो अथवा

(8) औद्योगिक नीति 2019-24 के अंतर्गत वर्णित कंडिका 15.13, 15.21 के संदर्भ में परिशिष्ट-6.19 में वर्तमान प्रावधान के द्वितीय पैरा के पश्चात् निम्नांकित पैरा का समावेश किया जाता है :-

इन प्रावधानों के अनुसरण में औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन के माध्यम से राज्य में वृहद, मेगा, अल्ट्रा मेगा उद्योगो के स्थापना हेतु Be Spoke Policy ''विशेष निवेश प्रोत्साहन पैकेज'' हेतु जारी अधिसूचनाओं में व्यावसायिक उत्पादन आरंभ करने हेतु निर्धारित तिथि 31 अक्टूबर, 2024 के स्थान पर निम्नांकित अनुसार होगी :-

क्र.	*विशेष निवेश प्रोत्साहन पैकेज अंतर्गत प्रस्तावित निवेश (राशि रू. करोड़ में)*	*विशेष निवेश प्रोत्साहन पैकेज अधिसूचित होने की दिनांक से उत्पादन आरंभ करने की अधिकतम समयावधि*
1	*25*	*विशेष निवेश प्रोत्साहन पैकेज अधिसूचित होने की दिनांक से 2 वर्ष*
2	*25 से 100 तक*	*विशेष निवेश प्रोत्साहन पैकेज अधिसूचित होने की दिनांक से 3 वर्ष*
3	*101 से 500 तक*	*विशेष निवेश प्रोत्साहन पैकेज अधिसूचित होने की दिनांक से 4 वर्ष*
4	*501 से 1000 तक*	*विशेष निवेश प्रोत्साहन पैकेज अधिसूचित होने की दिनांक से 5 वर्ष*
5	*1001 से अधिक*	*विशेष निवेश प्रोत्साहन पैकेज अधिसूचित होने की दिनांक से 7 वर्ष*

(9) उक्त अधिसूचना के परिशिष्ट-6.18 ''**परिवहन अनुदान (केवल निर्यातोन्मुख उद्योगों हेतु)**'' को निम्नानुसार संशोधित किया जाता है, अर्थात :-

औद्योगिक नीति 2019-24 की अवधि में राज्य में कहीं भी स्थापित इकाईयों द्वारा निर्मित उत्पादों (खदान सामग्री छोडकर निर्यात उन्मुख उद्योगों हेतु) के निर्यात के लिये निर्माण स्थान से निकटतम बन्दरगाह एवं विमानपत्तन पोर्ट जहां से वस्तु का निर्यात होना है तक, वास्तविक भाड़ा (शासकीय शुल्क एवं करों को छोड़कर) के बराबर भाड़ा सहायता प्रदान की जायेगी। सहायता की अधिकतम सीमा 20 लाख

रूपये प्रतिवर्ष होगी, अधिकतम 05 वर्ष तक होगी। अनुसूचित जनजाति/जाति वर्ग हेतु सहायता की अधिकतम सीमा 30 लाख रूपये प्रतिवर्ष होगी।''

(10) उक्त अधिसूचना के परिशिष्ट-6.4 **''विद्युत शुल्क छूट''** के उप कंडिका-(ब) को निम्नानुसार संशोधित किया जाता है, अर्थात :-

उप बिन्दु (ब)

कोर सेक्टर की मध्यम, वृहद, मेगा/ अल्ट्रा मेगा उद्योग - इन नियमों में अन्यथा वर्णित नवीन पात्र इकाईयों की स्थापना, विद्यमान उद्योगों के विस्तार एवं शवलीकरण को केवल स्वयं के खपत पर विद्युत शुल्क भुगतान से निम्नलिखित विवरण अनुसार छूट दी जायेगी :-

इस अधिसूचना के बिन्दु क्रमांक-2, 4 व 5 को छोड़कर शेष सभी संशोधन इस अधिसूचना के जारी होने की दिनांक से प्रवृत्त हुये समझे जावेंगे।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

-sd-
(भुवनेश यादव)
सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
वाणिज्य एवं उद्योग विभाग

पृष्ठा. क्र. एफ 20-01/2019/11/(6) **रायपुर दिनांक 27 जुलाई, 2023**

प्रतिलिपि :-

1. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, विभाग ....मंत्रालय, अटल नगर, रायपुर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
2. संचालक उद्योग, उद्योग संचालनालय छ0ग0 रायपुर
3. प्रबंध संचालक, सी.एस.आई.डी.सी. उद्योग भवन, रायपुर
4. अपर संचालक राज्य निवेश प्रोत्साहन बोर्ड, छ0ग0 रायपुर
5. नियंत्रक, शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, छत्तीसगढ़ राजनांदगांव की ओर अग्रेषित कर निवेदन है कि उपर्युक्त अधिसूचना छत्तीसगढ़ राजपत्र के आगामी अंक में मुद्रित करवाकर 250 प्रतियां इस विभाग को कृपया उपलब्ध करायें।
6. मुख्य महाप्रबंधक/महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र .....

सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
वाणिज्य एवं उद्योग विभाग